

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है। यह राज्य के समग्र वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है और इसके राजस्व एवं व्यय के रुझानों की समीक्षा करता है, राज्य की ऋण स्थिति और उधार लेने के स्वरूप का आकलन करता है, राजकोषीय जिम्मेदारी कानूनों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और राजकोषीय स्थिति संकेतकों के विरुद्ध इसके प्रदर्शन की तुलना करता है।

राजकोषीय स्थिरता की जांच व्यापक-राजकोषीय मापदंडों जैसे घाटे, ऋण और देनदारियों का स्तर, गारंटी, सब्सिडी आदि के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय की तुलना का संबंध है, प्रतिबद्ध व्यय महत्वपूर्ण बाध्यताओं में से एक है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान शामिल हैं।

राज्य के वित्त का अवलोकन

झारखण्ड की अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संतुलित वृद्धि दिखाई, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जीएसडीपी में 10.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य ने 2024-25 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.56 प्रतिशत का योगदान दिया, जो पिछले पांच वर्षों में लगभग समान था।

प्राप्ति और व्यय

राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि राज्य का स्व-कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता-अनुदान एवं हस्तांतरण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते पर व्यय के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (परिसंपत्ति निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश आदि) शामिल था।

2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियां 7.46 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ीं, जो केंद्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि के कारण हुई। जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2023-24 में 18.88 प्रतिशत की तुलना में 2024-25 में 18.30 प्रतिशत रहा। राज्य के स्व-कर राजस्व में मामूली रूप से 1.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-कर राजस्व (जीएसडीपी का 2.76 प्रतिशत) की वृद्धि मामूली छह प्रतिशत पर रही, और केंद्र से अनुदान पिछले वर्ष के समान ही रहा। राज्य का स्व-राजस्व का प्रदर्शन पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता पर्याप्त रूप से बनी रही। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,714.04 करोड़ प्राप्त हुए।

2015-16 से 2024-25 तक, राजस्व प्राप्तियां 9.83 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़ी जो ₹ 40,638 करोड़ से ₹ 94,489 करोड़ हो गई। 2015-16 से 2024-25 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹ 13,276 करोड़ से घटकर ₹ 9,357 करोड़ रह गई। केंद्रीय

करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी 11.51 प्रतिशत सीएजीआर के साथ 2015-16 में ₹ 15,969 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 42,557 करोड़ हो गई। भारत सरकार से सहायता-अनुदान 2015-16 में ₹ 7,338 करोड़ से 2024-25 में मामूली रूप से बढ़कर ₹ 9,199 करोड़ हो गई।

राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) 2023-24 में ₹ 1,01,537 करोड़ से 7.56 प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,09,212 करोड़ हो गया।

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई विस्तार नहीं होता है। राजस्व व्यय 2015-16 में ₹ 36,553 करोड़ से 10.05 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़कर 2024-25 में ₹ 86,565 करोड़ हो गया। पिछले दस वर्षों के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (70 से 85 प्रतिशत) बना रहा। 2024-25 के दौरान, राजस्व व्यय जीएसडीपी का 16.77 प्रतिशत था।

प्रतिबद्ध व्यय

प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय, जो 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय का 37.24 प्रतिशत था, संसाधनों पर पहले प्रभारित होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं।

सब्सिडी पर व्यय

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी के रूप में 2023-24 में भुगतान की गई राशि ₹ 4,831 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 7,889 करोड़ हो गई। 2024-25 में कुल राजस्व व्यय का 9.11 प्रतिशत सब्सिडी थी, जिसमें ऊर्जा के लिए सब्सिडी (₹ 5,537 करोड़) एक महत्वपूर्ण हिस्सा (70 प्रतिशत) था।

पूँजीगत व्यय

राज्य सरकार ने 2023-24 में ₹ 20,570 करोड़ की तुलना में 2024-25 के दौरान पूँजीगत व्यय पर ₹ 18,410 करोड़ खर्च किए और 2024-25 में पूँजीगत व्यय से जीएसडीपी का अनुपात 3.57 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 2,160 करोड़ की कमी आई और यह बजट स्तर से कम रहा, जो परिसंपत्तियों के निर्माण पर कम महत्व को दर्शाता है।

राजकोषीय मापदंड

वर्ष 2020-21 को छोड़कर जब घाटा हुआ था, राज्य का राजस्व अधिशेष 2015-16 में ₹ 4,085 करोड़ (जीएसडीपी का 1.98 प्रतिशत) से बढ़कर 2024-25 में ₹ 7,924 करोड़ (जीएसडीपी का 1.53 प्रतिशत) हो गया। हालांकि, राज्य का राजस्व अधिशेष 2023-24 में ₹ 11,252 करोड़ के मुकाबले 2024-25 के दौरान घटकर ₹ 7,924 करोड़ हो गया।

इसी प्रकार, राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2023-24 में ₹ 6,332 करोड़ (जीएसडीपी का 1.36 प्रतिशत) के मुकाबले 2024-25 में बढ़कर ₹ 14,527 करोड़ (जीएसडीपी का 2.81 प्रतिशत) हो गया।

आकस्मिक देयताएं

2024-25 के दौरान ₹ 2,175 करोड़ की गारंटी हटा दी गई, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,823.38 करोड़ की गारंटी बकाया रही। 2024-25 के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गयी थी।

एफआरबीएम अपेक्षाएं और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/ नियम कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं जिनके भीतर, किसी राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण को बने रहना चाहिए। 2024-25 में राज्य का राजस्व अधिशेष 1.53 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में 3.00 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के सापेक्ष 2.81 प्रतिशत थी और बकाया देनदारी जीएसडीपी के 27 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष 25.34 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, राज्य सरकार की बकाया देनदारियां 2020-21 में ₹ 1,09,184.99 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,30,798.56 करोड़ हो गईं। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले कुल ऋण का अनुपात 2020-21 में जीएसडीपी का 36.80 प्रतिशत था, जो 2021-22 से लगातार गिरता रहा और 2024-25 में पांच साल के निचले स्तर 25.34 प्रतिशत पर पहुंच गया।

बजटीय प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी बड़े पैमाने पर बचत जारी रही। इस अवधि के दौरान, राज्य के कुल बजट ₹ 1,50,938.84 करोड़ की राशि में से ₹ 31,110 करोड़ (कुल बजट का 20.61 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही। इसके अलावा, ₹ 31,110 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 19,648.71 करोड़ की बचत दस अनुदानों में बजट प्रावधानों के सात से 62 प्रतिशत के बीच हुई, जिसके कारणों की व्याख्या विनियोग लेखों में उचित रूप से नहीं की गयी है।

वर्ष 2024-25 के दौरान 46 मामलों में ₹ 5,407 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों तक भी नहीं पहुंचा।

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अनुसार राज्य सरकार को अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित कराना होता है। यह देखा गया कि 2024-25 के दौरान विनियोग संख्या 15-पेंशन के तहत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण से अतिरिक्त ₹ 306.62 करोड़ का संवितरण हुआ। इसके अलावा,

पूर्व के वर्षों से संबंधित ₹ 4,046.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय मार्च 2025 तक नियमित नहीं किया गया था।

2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय के तहत राजस्व प्रकृति के सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 2,879.71 करोड़ की राशि दर्ज की थी। इसी तरह, ₹ 42.45 करोड़ की राशि को पूँजीगत अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग में गलत तरीके से दर्ज किया गया था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष की उस सीमा तक अत्युक्ति हुई।

30 सितंबर 2025 तक, एसएनए के माध्यम से राज्य में चल रही 122 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से केवल 28 एसएनए को एसएनए-स्पर्श में स्थानांतरित किया गया था।

वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएं

मार्च 2025 तक, श्रम उपकर की कुल राशि ₹ 945.67 करोड़ में से, पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा केवल ₹ 473.74 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिससे बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड को हस्तांतरण के लिए ₹ 471.93 करोड़ की बकाया राशि शेष रह गई। उपकर के गैर-हस्तांतरण से राज्य की देनदारियां उस हद तक बढ़ गईं।

31 मार्च 2025 तक, ₹ 1,60,565.80 करोड़ की 52,855 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे। अधिक मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र के लंबित होने से लोक धन के दुरुपयोग का खतरा बना रहता है।

31 मार्च 2025 तक, 17,877 एसी विपत्रों के विरुद्ध ₹ 4,531.00 करोड़ के डीसी विपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे। लंबे समय तक अग्रिम राशि का समायोजन न होने से दुर्विनियोजन का खतरा बना रहता है और इसलिए, डीसी विपत्र के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा गहन निगरानी की आवश्यकता होती है।

व्यक्तिगत जमा खातों के 24 प्रशासकों में से केवल तीन (03) ने कोषागार के आँकड़े (कोषागार में) के साथ अपने शेष राशि का मिलान तथा सत्यापन किया था और उनके द्वारा कोषागार अधिकारी को 03 वार्षिक सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजा गया था। कोषागार के आँकड़ों के साथ शेष राशि का गैर-समाशोधन पारदर्शिता के मानदंडों की अवहेलना करता है और इस तरह के निधि की निगरानी में बाधा डालता है।

झारखण्ड सरकार ने नवंबर 2025 तक लघु खनिजों से संबंधित अन्वेषण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए लोक लेखा/ बैंक खाता के तहत राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना नहीं की थी।